

राजस्व कर्मचारी द्वारा जलवेधन दिया है कि
इससे कि है आपी के लिए बख्शी जमीन की
अतिरिक्त की जा सकती है।

~~आवेदन की सेवा~~

अपल जमीन के डाक वर्गित प्रति की आपी
है। यह कि डाक वर्ग कर करता है।

उक्त के कालांतर के अमीन आपी से परीक
जमा 50 आपी की अतिरिक्त दी जाती है।
लंबापर

दिनांक 23/11/14
अपल अधिकाारी,
चण्डपुर।

दिनांक 23/11/14
अपल अधिकाारी,
चण्डपुर।

जी अलफाउंड अंदाजी पिता मोठ साहिब-अंदाजी
का जलाए आप अमीन आपी फीस 700=00 (सात सौ
अस्सी) रुपया अपल जमात में जमा करने हुए रसीद
प्राप्त की है।

दिनांक 23/11/14 को आपी की विधि निष्पत्ति
करने हुए आपका निमित्त है।

दिनांक 23/11/14
अपल अधिकाारी,
चण्डपुर।

छा - अक्षरगो
 निनांक - 84
 गना - पन्द्रह
 गला - बाह्य
 पैमाना 16' = 1 मिल

नोट:- मो. लोहद पिता इति वक्तु मिश्रको
 अक्षरगो अक्षरगो निना मो. लोहद के
 मयी को नक्ष पर लाल रंग से दर्शाया
 गया है।



अक्षरगो	निनांक	रकत
371	377	0.05 ए.
374	377	0.05 ए.
375	377	0.05 ए.
376	377	0.05 ए.
370	377	0.05 ए.
376	377	0.05 ए.
377	377	0.10 ए.

Diagram 239.
 अ. अक्षरगो ल. रंग अ. मि.
 पन्द्रह पन्द्रह

सेवा में

विमान अंचल अधिकारी महोदय
चन्द्रपुरा

विषय:- आवेदक स्वयं अंसारी मौजा अलाहगंज के खालान नं 7। (ले
377 रकबा 0.10 ए० का माली प्रतिवेदन के संभव में।

महोदय

आपका 486 दिनांक 18.7.2014 के आदेशानुसार मैं दिन
28.7.14 को ह० कार्य के साथ अलाहगंज माली स्थल पर गये। स्थ
पर प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष उपस्थित थे। तथा प्रायः पंचायत
के मुखिया एवं ग्रामिण जनता भी उपस्थित थे। सभी के उपस्थित
में प्रथम पक्ष ने अपना जमान से संबंधित कागजात दिखाया। ज
अंचल कार्य नापटीह से सरकारी बंदावली परवाना L.R क्रमांक नं 18/0
मा० सहित नि० सीएमएस निमां खालान नं 7। (ले 377 रकबा 0.05
ए० एवं दूसरा परवाना L.R. क्रमांक नं 19/08-09 असकाक अंसारी नि० मा० सी
खालान नं 7। (ले 377 रकबा 0.05 ए० होने का मौजा अलाहगंज
है।

द्वितीय पक्ष के उपस्थित अधिकृत कलाम को वकील अंसारी होने के
बिना सीटिरीजिन अंसारी से जमान से संबंधित कागजात मांगा गया
परन्तु स्थल पर परस्तुत नहीं किया गया। इनके द्वारा बताया गया
कि कागजात मेरे पास नहीं है बल्कि मैं कार्यालय में जमा करूँगा।
सभी के उपस्थित में खालान नं 7। (ले 377 का माली
किया गया। पता गया कि उक्त (ले 377 पर मा० सहित एवं स्वयं
अंसारी का मकान बना हुआ है तथा उन्हीं लोगों के कब्जे में यह
जमीन है।

द्वितीय पक्ष को जवाब देकर जमान से संबंधित कागजात
मांगा किया जा सकता है। पूर्व में इस अंचल में वह स० 5/11-12 चल
रुका है परन्तु ह० कार्य ने रिपोर्ट में नहीं लाया जिसका क्या
प्रति संलग्न है।

अतः विमान के माली प्रतिवेदन के साथ ही प्रति नबला
के साथ प्रेषित

विशाल भावन

23.8

अ० अमीन

चन्द्रपुरा

24/8/17